भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3383

दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

गांवों में वैयक्तिक शौचालयों का निर्माण

3383. श्री प्रभात झाः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की कवरेज बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है और अक्तूबर 2019 से पहले यह कवरेज शत–प्रतिशत हासिल किया जाना नियत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्त गांवों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिनमें शौचालय निर्माण की प्रमाणिकता का निरीक्षण–परीक्षण किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) जी हां। दिनांक 02.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] की शुरूआत में, देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.70% था। दिनांक 22.03.2018 को यह बढ़कर 78.98% हो गया। एसबीएम(जी) के अंतर्गत दिनांक 2.10.2019 तक 100% ग्रामीण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार गांव स्वयं को आम सभा बैठक में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करते हैं। एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि घोषणा के तीन महीनों के अंदर सत्यापन कराया जाए। राज्य सरकारें विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए ओडीएफ सत्यापन करा रही हैं लेकिन सभी सत्यापन तीसरे पक्ष- अंतर ब्लॉक टीम, जिला टीम, अंतर विभागीय टीम, नियुक्त तीसरा पक्ष एजेन्सी आदि के जरिए कराए जाते हैं।